UNFEEDING WORLD

UNFEEDING WORLD BANK PARIYOJNA

INTER-STATE PROJECT FOR WELFARE & DEVELOPMENT

CORPORATE OFFICE-UNFW BANK BUILDING,IIM-RD,LUCKNOW,UP,INDIA
Mb-8887985877, e-mail-unfeedingworld@gmail.com,

पत्रांकःएस.जी.एस.वाई./2026–27/प्रसार दिनांकः–11.11.2026

समस्त आवेदक
आउटसोर्सिंग एण्ड मैनेजमेन्ट एजेन्सी,

विषयः–आत्मनिर्भर भारत में सबके लिए,बिना ब्याज के ऋण एवं घर अभियान के अन्तर्गत,उत्तर प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में लोन आफीसर्स की न्युक्तियों के लिये,आउटसोर्सिंग एजेन्सियों के चयन के सम्बन्ध मे।

महोदय,
उपरोक्त के सम्बन्ध में,आपको निम्नलिखित अवगत कराना है–
1–अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,एक अन्तर्राज्यीय फडिंग परियोजना है,जो गैर संगठित क्षेत्रों के सभी किसानों,स्वयं सहायता समूहों,महिलाओं एवं अन्य सभी जरूरतमंद समूहों को,सीएसआर वेलफेयर फन्ड से,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक–बिना कुछ भी जमा किये,हर घर लखपति,आरडी–एकाउन्ट, क द्वारा,उनके सभी चिकित्सा,शिक्षा निश्चित रोजगार प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक चयनित बिलों के भुगतान एवं छोटे घरों के निर्माण सहित,उनकी किसी भी आवश्यकता के लिये,बिना ब्याज के ऋण, बिना किसी औपचारिकता के,कैश सहायता के रूप में,सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं चयनित आउटसोर्स एजेन्सियों के माध्यम से,दुनिया में पहली बार बिल्कुल फ्री,उपलब्ध कराने जा रही है। प्रस्तावित अनफीडिंग वर्ल्ड बैंकों के लिये,सभी कार्य, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, द्वारा कियें जायेंगे।
महोदय,उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में,लोन आफीसर्स की,जिनकी न्यूनतम योग्यता,इन्टरमीडिएट होगी,की न्युक्तियां के लिये, आउटसोर्सिंग एजेन्सियों की न्युक्तियां अनुबन्ध के आधार पर की जानी है।

पद कोड	पदनाम	औसत पदों की संख्या	मासिक कुल परिलब्धियों	अन्य लाभ	योग्यता	आयु सीमा दिनांक 31,मार्च,2025 को
01	लोन आफीसर्स	200	22000,रू0 अनुबन्ध के अनुसार,	5 लाख का बीमा एवं पी.एफ.	इन्टरमीडिएट से स्नातक	18 से 45 वर्ष

2–अन–फीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में,अनुबन्ध के आधार पर इन्छुक आउटसोर्सिंग एजेन्सियों की आवश्यकता है। आउटसोर्सिंग एजेन्सियों को अनुबन्ध–पत्र के अनुसार,औसत 200 लोन आफीसर्स की नियुक्ति होने,उनकी सिक्योरिटी राशी जमा होने एवं उनके द्वारा अनुबन्ध के अनुसार, निर्धारित लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को पूर्ण कराने पर 16 लाख रू0, अर्थात् 8 हजार रू0 प्रति लोन आफीसर,प्लसमेन्ट मद से,प्लेसमेन्ट शुल्क के रूप में, तथा नियुक्त किये गये,औसत 200 लोन आफीसर्स से कार्य पूर्ण कराने पर,4 लाख रू0 प्रतिमाह,अर्थात् 2 हजार रू0 प्रति,लोन आफीसर प्रतिमाह आउटसोर्सिंग–शुल्क के रूप में प्राप्त होंगे। सभी आवेदन करने वाली एजेन्सियों को आनलाइन आवेदन के साथ 30 हजार रू0, प्रति विकास खण्ड, वेरिफिकेशन एवं प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी,जो वापिस नही की जायेगी। आवश्यक वेरिफिकेशन के बाद साक्षात्कार में पात्र पायी जाने वाली आउटसोर्स एजेन्सियो को, 30 हजार रु0 जमा करने की तिथी से 1 माह के अन्दर प्राथमिक अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा। अपने प्राथमिक अनुबन्ध के साथ,1 लाख रू,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक फेडरेशन,वेलफेयर फंड हेड में,जमा करना होगा। तभी प्राथमिक अनुबन्ध पूर्ण माना जायेगा। इसके बाद प्रत्येक विकासखण्ड मे औसत 200 लोन आफोसर्स की नियुक्तियों,उनके साथ अनुबन्ध एवं उनके प्रशिक्षिण के पूर्ण होने के बाद,सम्बन्धित आउटसोर्सिंग एजेन्सी के साथ,रजिस्टर्ड अनुबन्ध किया जायेगा एवं सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी एवं जनपद के जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। इसके बाद,सम्बन्धित आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा नियमानुसार लाभार्थियों के आवेदन पत्रों को भरवाया जायेगा। एवं अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। रजिस्टर्ड अनुबन्ध के साथ,1 लाख रू0,सिक्योरिटी एमाउन्ट जमा करना होगा। आवश्यक योग्यता रखने वाली इच्छुक एजेन्सियॉ केवल,अन–फीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना की वेबसाइट-**www.unfeedingworld.com** पर ही ऑनलाइन आवेदन करे। आवेदन शुल्क एवं वेलफेयर एमाउन्ट सहित,सभी राशियॉ केवल,नोडल एजेसी–**UNFEEDING WORLD BANK PARIYOJNA,** के खाता संख्या–**756020110000263**,बैंक आफ इंडिया,लखनऊ,आईएफएससी कोड–**BKID0007560** पर अथवा इसके दिये गये,क्यू.आर. कोड पर ही जमा होगी।
3–समस्त आउटसोर्सिंग एजेन्सियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,के निदेशक की अध्यक्षता में गठित एक अधिकार प्राप्त चयन समिति द्वारा किया जायेगा,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना के राज्य,जोनल एवं जनपद तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं एजेन्सियों सहित किसी को भी उपरोक्त चयन में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नही है।

भवदीय
Digitally signed by r.k.nigam
Date-11.11.2026, at 10.40 am.
(आर.के.निगम)
निदेशक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–मुख्य सचिव,उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
2–समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

निदेशक